

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर  
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in )

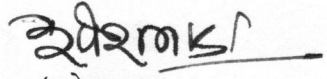
क्रमांक :- F2(ख)(1)अलेसे II / 967

दिनांक :- 22 /12/2021

आदेश संख्या : 49 /21-22

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्मिक का दिनांक 15.12.2021 को आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति देने के फलस्वरूप पदस्थापन कालम संख्या 05 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है:-

| क्र.स.<br>(1) | लिक<br>नम्बर<br>(2) | नाम (सर्वश्री)<br>(3)                                            | आदेशों की प्रतीक्षा से पूर्व<br>पदस्थापित कार्यालय का नाम<br>(4) | नव पदस्थापन कार्यालय का नाम<br>(5)                | विशेष विवरण<br>(6)                                       |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1             | 6005                | वीरेन्द्र कुमार गुप्ता,<br>[सहायक लेखाधिकारी ग्रेड<br>- द्वितीय] | आदेशों की प्रतीक्षा में                                          | वित्त (व्यय I) विभाग, सचिवालय,<br>जयपुर - 1000019 | सहायक<br>लेखाधिकारी ग्रेड -<br>द्वितीय के रिक्त<br>पद पर |

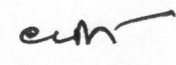
  
(भूपेश माथुर )  
निदेशक

क्रमांक:- F2(ख)(1)अलेसे II / 967

दिनांक :- 22/12/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. कोषाधिकारी.....
4. श्री .....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये ।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III ) कार्यालय हाजा ।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

  
(धीरज सिसोदिया)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)